मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग
::मंत्रालय::

/ /आदेश/ /

भोपाल,दिनांक 25 फरवरी, 2015

क्रमांक एफ–16–06/2014/बी–ग्यारहः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है किः–
1. मेसर्स आकाश ग्लोबल फूड्स प्रायवेट लिमिटेड की खाद्य प्रसंस्करण योजना को उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्य योजना, 2010 (यथा संशोधित, 2012) अन्तर्गत निम्नानुसार सुविधाऐं दी जावें–

(1) **उद्योग निवेश संवर्धन सहायता**– 50 प्रतिशत की दर से 03 वर्षों हेतु।

(2) **प्रवेश कर से छूट**–प्रथम कच्चामाल के कय दिनांक से 05 वर्षों हेतु।

(3) **मण्डी शुल्क से छूट**–किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.फरवरी, 2011 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डी शुल्क से छूट का लाभ शर्तो के अध्यधीन।

2. उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्य योजना, 2010 (यथा संशोधित, 2012) तथा मध्यप्रदेश कृषि व्यवसाय एव खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत शर्तो के अध्यधीन अन्य सुविधाओं यथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर हुऐ व्यय की प्रतिपूर्ति इत्यादि का लाभ।

3. कम्पनी की शेष अन्य मांगो को अमान्य किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य,उद्योग और रोजगार विभाग